



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930

No. 3]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2008

फा. सं. ए-12022/5/2008-पी ई-1.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, केन्द्रीय सरकार, श्री पी. डी. वाघेला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात: 86) को दिनांक 20-12-2008 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष, काँडला पत्तन न्यास के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

F. No. A-12022/5/2008-PE.-I.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri P.D. Vaghela, IAS (GJ: 86) as Chairman, Kandla Port Trust for a period of five years w.e.f. 20-12-2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.